कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई)।

पत्रांकः 662 / रा0मे0का0 / बी0एस0सी0नर्सिंग / 2025 दिनांक– 19 / 02 / 2025

विज्ञाप्ति–सूचना

राजकीय मेडिकल कालेज चिकित्सा महाविद्यालय जालौन, (उरई) में संचालित नर्सिंग कालेज में एसोसिएट प्रोफेसर एवं ट्यूटर (संविदा) के रिक्त पदों पर नर्सिंग संवर्ग के शैक्षणिक पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा रही हैं, साक्षात्कार विज्ञप्ति तिथि से 15 दिन के उपरान्त प्रथम वृहस्पतिवार दिनांक'–06.03.2025 को 11 बजे से 04 बजे तक राजकीय मेडिकल कालेज जालौन, (उरई) के केन्द्रीय पुस्तकालय में संपन्न होगा तथा उक्त विज्ञप्ति को राजकीय मेडिकल कालेज जालौन, (उरई) के वेबसाइट–www.gmcjalaun.com तथा पद आयु,मानदेह आदि का विवरण निम्नवत हैः–

क0स0	विभाग का नाम	SC/ST	OBC	GEN
1	एसोसिएट प्रोफेसर	01	–	–
2	ट्यूटर	04	01	03

प्रदान किये जाने वाला मानदे, आयु एवं चयन प्रकिया का विवरण निम्नवत है–

कमाक	पद का नाम	संविदा पद प्रदान कियां जाने वाला मानदेय प्रतिमाह	आयु (गणना 01.07. 2024से)	चयन प्रकिया
1	एसोसिएट प्रोफेसर	80,000	Maxmum 68 Year	Walk-in inteview
2	ट्यूटर	45,000	Maxmum 68 Year	Walk-in inteview

शैक्षणिक अर्हता / अनुभव

S.N.	POST NAME	QUALIFICATION & EXPERIENCE
1	ASSOCIATE PROFESSOR	Essential Qualification: Msc. (Nursing) Experience: M.sc. (Nursing) With Total 3 year teaching experience Ph.D. (Nursing) desirable
2	TUTOR	Msc. (Nursing) preferable Experience: B.sc. (Nursing)/P.B.B.sc. (Nursing) with 1 year experience

नोट–

1– सभी पदों पर अधिकतम आयु 68 वर्ष निधारित की गयी है।

2– पदो की संख्या घट या बढ़ सकती है।

3– **आवेदन शुल्क**– अभ्यार्थियो को रू0 2000/– आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क **NEFT/RTGS** के माध्यम से ही जमा करना होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नही किया जायगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा। एक से अधिक पदो के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक– पृथक आवेदन प्रपत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा।

Name of Account Holder	College of nursing
Name of Bank	Indian Bank
Branch	Orai, Medical college
Account Number	7586240740
IFSC Code	IDIB000O512

4– संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शैक्षणिक कार्मिको को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

5– ड्यूटी 8 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

6– संविदा कार्मिको को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रिक अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगे।

7– महिला संविदा कार्मिको को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

8– यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

9– सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

10– संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

11– संविदा कर्मी सेवा में विनियमतीकरण, स्थायीकरण, पेंशन बोनस आदि सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।

12– संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

13– संविदा कार्मिक का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो जो इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा० न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नही है के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त बढ़ाया जा सकेगा।

14– एसोसिएट प्रोफेसर एवं ट्यूटर के पदो पर "Walk –in-Interview" के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

15– सक्षात्कार की तिथि, लिखित परीक्षा की तिथि व अन्य विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाये विभाग की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in पर समय-समय पर प्रदर्शित की जायेगी। अतएव वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

16– सत्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित (Self Attested) छायाति एवं फोटो अवश्य लाये।

17-. साक्षर लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को यात्रा भात्ता आदि देय नहीं होगा।

18– सरकार/आई०एन०सी० के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभवमान्य होगा।

19- आर्थिक रुप से कमजोर [EWS] प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये मान्य ही स्वीकार होगा।

20- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र दिनाक 01 अप्रैल, 2024 के पश्चात का ही मान्य होगा।

21-. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुभूतिनातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार को अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरुप आकाल अनुमन्य होगा।

22 राजकीय मेडिकल कालेज जालौन, (उरई) के वेबसाइट–www.gmcjalaun.com आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक–01.03.2025 तक शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध कराये।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
जालौन(उरई)